न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— मुन्नीराम बागडिया
आर.ए.एस.

निगरानी संख्या— 09 / 2016

1. हरफुलसिंह पुत्र स्व. श्री हनुमानाराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2. सीताराम पुत्र श्री चिमनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3. राजेन्द्र पुत्र श्री चन्दगीराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।

—निगरानीकार

—बनाम—

1. ग्राम पंचायत बाकरा पंचायत समिति झुन्झुनूं जरिये सरपंच बबीता देवी पत्नी सतीश जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2. सचिव ग्राम पंचायत बाकरा पंचायत समिति बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3. उप स्वास्थ्य केन्द्र बाकरा जरिये मुख्य चिकित्स एंव स्वास्थ्य अधिकारी झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं।

— गैर निगरानीकार

निगरानी अं0धारा 97 राज0पंचायती राज0 अधि01994
विरूद्ध आदेश संकल्प संख्या 6 दिनांक 20.4.2015 व अनुपालना में जारी पट्टा सं. 10
दिनांक 05.06.2015 बहक उप स्वास्थ्य केन्द्र बाकरा (ग्राम पंचायत बाकरा)

उपस्थिति:—

1. श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट —— ——— निगरानीकार की ओर से ।
2. श्री कंचनसिंह चौधरी, एडवोकेट ——— ——— गैर निगरानीकार नं. 1 व 2 की ओर से ।

—निर्णय— दिनांक 10.11.2017

उक्त उनवानी निगरानी अं0 धारा 97 राज0 पंचायती राज0 अधि0 1994 विरूद्ध आदेश संकल्प संख्या 6 दिनांक 20.4.2015 व अनुपालना में जारी पट्टा सं. 10 दिनांक 05.06.2015 बहक उप स्वास्थ्य केन्द्र बाकरा, ग्राम पंचायत बाकरा के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि — ग्राम बाकरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र गांव के बीच में आबादी भूमि मे स्थित था उक्त स्वास्थ्य केन्द्र का भवन पानी के भराव क्षेत्र में आ गया था तथा उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन जर्जर अवस्था मे आ गया था। जिसके कारण उक्त भवन उप स्वास्थ्य केन्द्र चलाने की स्थिति में नहीं रहा। शिक्षा विभाग की समायोजन की व्यवस्था के कारण प्राथमिक विद्यालय रिक्त हो गया था उक्त प्राथमिक विद्यालय मे उप

स्वास्थ्य केन्द्र बाकरा का स्थानान्तरित कर दिया गया उक्त आदेश दिनांक 25.01.16 को जिला कलेक्टर महोदय झुन्झुनूं ने कर दिया जिस आदेश दिनांक 25.01.16 को जिला कलेक्टर महोदय झुन्झुनूं ने कर दिया जिस आदेश में मुख्य चिकित्सा अधिकारी व शिक्षा विभाग की सहमति रही तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थानान्तरित होने के पश्चात ग्राम के भामाशाहो ने उप स्वास्थ्य केन्द्र की मरमत करवायी उप स्वास्थ्य केन्द्र अब सुचारू रूप से संचालित है। गैर निगरानीकार नं. 1 व 2 ने जानबुझकर दिनांक 05.06.2015 को उप स्वास्थ्य केन्द्र के नाम से एक आबादी भूमि का रिहायशी दर पर नि:शुल्क आवंटन दिनांक 05.06.2015 को जारी किया जो गलत जारी किया है। नियम विरूद्ध है भूमि आवंटन का ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार नही है। तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिये भूमि आवंटन का क्षेत्राधिकार जिला कलेक्टर को है उक्त आवंटन व तथाकथित पट्टा गलत रूप से जारी किया गया है। उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिये उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थानान्तरित होने के पश्चात भूमि की आवश्यकता भी नही है उक्त आवंटन/पट्टा नियम विरूद्ध होने से काबिले निरस्त है। प्रस्ताव संख्या 6 भी काबिले निरस्त है। ग्राम पंचायत से ग्राम वासीयान ने उक्त आवंटन/पट्टा की कोई मांग भी नही की उक्त तथाकथित आवंटन व पट्टा की भूमि का उप स्वास्थ्य के लिये अब उपयोग भी नही है। उक्त नि:शुल्क आवंटन व पट्टा काबिले निरस्त है। जिस जगह का आवंटन किया है वो काफी दूरी पर स्थित है। तथा ना ही कोई सडक व रास्ता है। इसलिये उक्त आवंटन दिनांक 05.06.2015 निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः निगरानी पेशकर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर नि:शुल्क आवंटन आदेश/पट्टा दिनांक 05.06.2015 का निरस्त करने का आदेश फरमावें।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि ग्राम बाकरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र गांव के बीच में आबादी भूमि मे स्थित था उक्त स्वास्थ्य केन्द्र का भवन पानी के भराव क्षेत्र में आ गया था तथा उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन जर्जर अवस्था में आ गया था। जिसके कारण उक्त भवन उप स्वास्थ्य केन्द्र चलाने की स्थिति मे नहीं रहा। शिक्षा विभाग की समायोजन की व्यवस्था के कारण प्राथमिक विधालय रिक्त हो गया था उक्त प्राथमिक विधालय में उप स्वास्थ्य केन्द्र बाकरा का स्थानान्तरित कर दिया गया उक्त आदेश दिनांक 25.01.16 को जिला कलेक्टर महोदय झुन्झुनूं ने कर दिया जिस आदेश दिनांक 25.01.16 को जिला कलेक्टर महोदय झुन्झुनूं ने कर दिया जिस आदेश में मुख्य चिकित्सा अधिकारी व शिक्षा विभाग की सहमति रही तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थानान्तरित होने के

पश्चात ग्राम के भामाशाहों ने उप स्वास्थ्य केन्द्र की मरमत करवायी उप स्वास्थ्य केन्द्र अब सुचारू रूप से संचालित है। गैर निगरानीकार नं. 1 व 2 ने जानबुझकर दिनांक 05.06.2015 को उप स्वास्थ्य केन्द्र के नाम से एक आबादी भूमि का रिहायशी दर पर निःशुल्क आवंटन दिनांक 05.06.2015 को जारी किया जो गलत जारी किया है। नियम विरूद्ध है भूमि आवंटन का ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार नहीं है। तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिये भूमि आवंटन का क्षेत्राधिकार जिला कलेक्टर को है उक्त आवंटन व तथाकथित पट्टा गलत रूप से जारी किया गया है। उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिये उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थानान्तरित होने के पश्चात भूमि की आवश्यकता भी नही है उक्त आवंटन/पट्टा नियम विरूद्ध होने से काबिले निरस्त है। प्रस्ताव संख्या 6 भी काबिले निरस्त है। ग्राम पंचायत से ग्राम वासीयान ने उक्त आवंटन/पट्टा की कोई मांग भी नही की उक्त तथाकथित आवंटन व पट्टा की भूमि का उप स्वास्थ्य के लिये अब उपयोग भी नही है। उक्त निःशुल्क आवंटन व पट्टा काबिले निरस्त है। जिस जगह का आवंटन किया है वो काफी दूरी पर स्थित है। तथा ना ही कोई सड़क व रास्ता है। इसलिये उक्त आवंटन दिनांक 05.06.2015 निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

दौराने बहस वकील गैर निगरानीकार ने बताया कि ग्राम पंचायत बाकरा में जन सुनवाई के दौरान ग्राम वासीयों द्वारा जिला कलक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन जर्जर अवस्था में है अतः ग्राम पंचायत में नया उप स्वास्थ्य केन्द्र बनवाने की कृपा करें। ततकालिन जिला कलक्टर महोदय ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मूल प्रार्थना पत्र पर ही भवन निर्माण हेतु दिशा निर्देश दिये। उक्त भवन बाबत खण्ड मुख्य चिकित्सा अधि. झुन्झुनूं ने सरपंच ग्राम पंचायत बाकरा को पत्र लिखा की ग्राम पंचायत में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा आयोजित जन सुनवाई में उपकेन्द्र भवन से संबंधित समस्या उठी थी एवम् जिसके समाधान हेतु श्रीमान ने अधोहस्ताक्षरकर्ता को गांव की तीन खाली स्कूलों का अवलोकन कर उपकेन्द्र हेतु उचित स्कूल भवन का चयन करने या नए भवन के लिए पट्टे हेतु आपसे सम्पर्क करने के निर्देश दिए थे, स्कूल का अवलोकन करने पर पाया कि दो स्कूल गांव से बहुत दूर है जबकि तीसरी स्कूल जो गाव में है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अतः आप से निवेदन है कि आप उपकेन्द्र हेतु जमीन आवंटित करवाने का श्रम करें जिससे कि नया भवन बनवाने हेतु विभाग/राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जा सके। राजनैतिक दबाव मे निगरानी करवाई गयी है। ग्राम पंचायत बाकरा द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत आदेश दिया गया है जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी मय खर्चा खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में उक्त आवंटन किया गया है जो ग्रामीणों की आवश्यकता

पर ग्राम पंचायत बकरा द्वारा प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 20.4.20115 के द्वारा सर्वसम्मति से उप–स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया है। आबादी भूमि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में आती है जिसमें ग्राम पंचायत को आवंटन या पट्टे दिये जाने के पूर्ण अधिकार हैं। ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत कार्यवाही कर राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र को भूमि आवंटन की गई है। ग्राम पंचायत बाकरा द्वारा उक्त पट्टा/आवंटन जनहितार्थ कार्य उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भूमि आवंटन की है। किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पंहुचाने की दृष्टि से नहीं की गई। निशुल्क पट्टा जारी करने का सदन का निर्णय है। यह प्रकरण पूर्णतया ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार का एवं आबादी भूमि के विक्रय/आवंटन का होने के कारण मेरी राय में ग्राम पंचायत द्वारा इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार की यह निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की यह निगरानी खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत बाकरा द्वारा जारी किये गये आदेश संकल्प संख्या 06 दिनांक 20.4.2015 व अनुपालना में जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 05.06.2015 को यथावत रखा जाता है । मिसल ग्राम पंचायत बाकरा को अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

10/11/17

(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 10.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/11/17

(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंझुनू